जल/सिंचाई के विकास पर एक नज़र: एक नई सोच की आवश्यकता

मूल प्रश्न: क्या मौजूदा 'हर खेत को पानी' और 'हर बूँद से अधिक उपज' जैसे नीति-निर्देश 'विस्तृत सिंचाई' और 'जल उपयोग दक्षता' (जिसे आमतौर पर माइक्रो या लघु सिंचाई ही मान लिया जाता है) की मानसिक रचना के अनुरूप हैं? क्या जल-प्रबंधन के लिए अधिक समावेशी और पर्यावरण के हिसाब से अहानिकारक नज़रिए की ज़रूरत है?

पानी और खेती एक बड़ा और बहुयामी मुद्दा है. इस नोट में हम चर्चा को जल को लेकर 'प्रभावी परिप्रेक्ष्य' (Dominant Perspective) और लोकनीति, निवेश, बराबरी, आजीविका और जल-संसाधन क्षरण आदि पर इसके प्रभावों पर पुनर्विचार की ज़रूरत तक ही सीमित रखेंगे.

इतिहास पर एक नज़र:

आज़ादी के बाद राष्ट्रिय नीति के रूप में विभिन्न पञ्च-वर्षीय योजनाओं में 'सिंचाई विकास' पर ही पूरा जोर रहा. इस क्रम में कितने बाँध बने, कितने क्षेत्र में सिंचाई की सम्भावना बनी और कितने को सिंचित किया गया, सिंचाई सघनता और फसल सघनता जैसे मानकों के आधार पर लोक-निवेश और नीतियों का आकलन किया गया. कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ (CADAs) बनाए गए ताकि सिंचित इलाकों (जिनमें अक्सर काली मिटटी वाले मैदान ही होते थे) का विकास और कैनाल नेटवर्क बढ़िया से तैयार हों. 'आधुनिक भारत के इन नए मंदिरों' से जुड़े विस्थापन पर व्यापक जन-बहस और हाशिये पर पड़े स्वरों को आमतौर पर अनदेखा ही किया गया. दो या अधिक राज्यों की सरकारों और अवाम के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे जो अबतक जारी हैं.

'सिंचित' और 'असिंचित' के बीच का अंतर लोक-नीतियों का अभिन्न हिस्सा रहा. असिंचित क्षेत्र (rainfed areas) को या तो बाँधों के 'कैचमेंट' के रूप में देखा गया या फिर रहत के लिए इंतज़ार कर रहे सूखा-संभावित क्षेत्रों के रूप में. माना गया कि इन इलाकों को 'भूमि-क्षरण' से बचाना ज़रूरी है.

इसका नतीजा यह हुआ कि कभी भी इन इलाकों को खाद्य-उत्पादक और समुदायों की आजीविका के साधन के रूप में नहीं देखा गया. इन इलाकों में निवेश के रूप में लोगों के लिए रोजगार निर्माण (और बाद में भूमि एवं जल संरक्षण), पीडीएस के तहत चावल-गेहूँ के वितरण और सूखा-राहत जैसे कार्यक्रम ही चलाए गए.

1980 के बाद बिजली और ट्यूबवेल की मदद से भूमिगत जल द्वारा सिंचाई पर जोर बढ़ा. सिंचाई के इस माध्यम के लगातार विस्तार और सघनीकरण की वजह से भूमिगत जल का इतना दोहन हुआ कि जलस्तर घटने लगा और कुँए बेकार होने लग गए और उनपर होने वाले निवेश भी भरी कटौती होने लगी.

अब तो राष्ट्रीय स्तर पर और कई प्रदेशों में भूजल आधारित सिंचाई ने 'नहर' से सिंचाई (वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई) को पीछे छोड़ दिया[1]. इस तकनीक ने एक ऐसे दौर की शुरुआत की है जिसमें किसान समृद्ध हो या गरीब, बड़ा हो या सीमान्त सब सिंचाई की इसी तकनीक को अपनाना चाहते हैं और नतीजतन इसमें व्यक्तिगत निवेश काफी बढ़ गया है. इसके लिए गरीब किसान या तो बेहद ऊँची ब्याज दरों क़र्ज़ लेते हैं या फिर बरसों की अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित कमाई झोंक देते हैं. पानी की तलाश में बारबार बोरिंग की वजह से होने वाली आत्महत्याओं के ढेरों मामले सामने आए हैं.

प्रतिस्पर्धा में होने वाली खुदाई के साथ-साथ असफलता का अनुपात बढ़ जाता है जिसकी वजह से निवेश में जोखिम बढ़ जाता है. यह व्यापक कृषि संकट के एक बड़ा कारण है.

इस नए संकट के समाधान के रूप में 'पानी के कुशल उपयोग' को प्रोत्साहित करने के लिए 'लघु-सिंचाई' का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन शुरू हुआ. इसके साथ ही 'फसल विविधिकरण' (जो दरअसल बागवानी थी) को भी समाधान के रप्प में प्रस्तुत किया गया. 'जल-उपयोग कुशलता' के लिए बिजली सब्सिडी, माइक्रो-इरीगेशन और बागवानी सब्सिडी वाला पैकेज पेश किया जा रहा है.

यह परिचर्चा-पत्र चतुर्थ किसान स्वराज सम्मलेन, अहमदाबाद (2-4 नवम्बर 2018) के लिए ए. रविन्द्रन ने तैयार किया है. विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :- ravindra@wassan.org / 9440621861

इसी बीच भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से वह स्थिति आ गयी है जिसमें भूजल के रिचार्ज के मुकाबले दोहन अधिक हो रहा है जिससे व्यक्तिगत या निजी निवेश का जोखिम और भी बढ़ गया है.

नई निति के तहत अब 'माइक्रो इरीगेशन वाले क्षेत्रों' के विस्तार को 'सिंचित क्षेत्र' माना जा रहा है. मौजूदा सरकार के 'हर खेत को पानी' और 'हर बूँद से अधिक फसल' के नारों की व्याख्या सिंचित क्षेत्रों और माइक्रो इरीगेशन के विस्तार के लिए होने वाले निवेश के रूप में हो रही है. इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के निवेश संरचना में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है.[2]

'वर्षा आधारित' कृषि की नियति

बड़ा इलाका 'असिंचित' (वर्षा आधारित के लिए इसी शब्द का प्रयोग होता है) रह जाता है और उसपर रहने वाले किसानों की आजीविका असुरक्षित और वर्षा की अनिश्चितता की तरह अनिश्चित ही रह जाती है. 1990 के दशक के बाद सहभागी जलछाजन विकास कार्यक्रम (ParticipatoryWatershed Development Programme) के तहत किसानों द्वारा प्रबंधन और आजीविका पर फोकस रहा. लेकिन तब भी इन कार्यक्रमों के केंद्र में जल संरक्षण ही रहा.

'नीति आयोग' के आगमन के साथ जलछाजन विकास की अवधारणा तारतार हो गयी; अव्वल तो इसे PMKSY के अधीन कर दिया गया जिसमें अधिकतम निवेश त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और माइक्रो इरीगेशन को दिया गया और फिर इस कार्यक्रम को जो भी थोड़ा-बहुत संसाधन उपलब्ध था उसे भी रोक दिया गया. फ़िलहाल भारत में जलछाजन कार्यक्रम दरअसल अपनी मृत्यु-शैया पर पड़ा है और इनकी जगह कोई दूसरा कार्यक्रम भी नहीं बना है.

'सिंचित क्षेत्र' और 'कुशल जल उपयोग' से जुड़ी मानसिकता का इस्तेमाल ठेकेदार और कॉर्पोरेट घराने वाले बड़ी चालाकी से करते हैं. यहाँ तक कि आजकल धान की खेती के लिए भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली की वकालत होने लगी है.

सबसे बड़ी विडम्बना है कि वर्षाजल को सीधा मिट्टी के प्रोफाइल में ही संचित करने को 'कुशल जल उपयोग' की श्रेणी में नहीं रखा जाता. जल को घन मीटर या क्यूबिक मीटर में ही मापते हैं, वर्षाजल की तरह मिलीमीटर या नमी के प्रतिशत के रूप में नहीं. जबकि सच यह है कि किसी निश्चित क्षेत्रफलमें मिटटी का प्रोफाइल जितना पानी सोखने में सक्षम है, न तो उतना पानी बहकर निकलता है और ना ही उस मात्र में भूमिगत जल का रिचार्ज होता है. इसलिए इसकी मदद से किसी बांध या भूजल रिचार्ज के मुकाबले कहीं अधिक मात्र में जल संचयन किया जा सकता है.

हिमांशु ठक्कर का विश्लेषण[3] बतलाता है कि जल प्रबंधन पर होने वाले वर्तमान निवेश की वजह से नए सिंचित क्षेत्र तो तैयार नहीं हो रहे बल्कि इस निवेश के बावजूद दरअसल सिंचित खेत्र घट रहे हैं क्योंकि भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल की स्थिति कई राज्यों में भयावह हो गई है.

ऐसी पहलें जिन्हें सिंचाई की मौजूदा परिभाषा में जगह ही नहीं मिली है

1. ज़रा प्रख्यात जैविक खेती करने वाले किसान श्री सुभाष शर्मा जी के यवतमाल स्थित खेत की और ध्यान दीजिए जिसमें उन्होंने 'ग्रिड लॉक प्रणाली' को अपनाया है. वे बताते हैं कि एक बार के 20 मिलीमीटर की बारिश से उनकी प्रणाली लगभग 1000 क्यूबिक मीटर अतिरिक्त वर्षाजल को साइल प्रोफाइल में सोख लेती है जिसका प्रयोग पौधों की जड़ें आप ही आप कर लेती हैं. मतलब क्या हुआ... 20 मिलीमीटर की एक बारिश भी उनके खेत का एक बार पटवन कर देने में सक्षम है. जबकि इस व्यवस्था के आभाव में बारिश का पानी या तो बह कर निकल जाता है या भूजल में मिल जाता है जिसे 5 HP के पंप की मदद से निकल पड़ता है और ड्रिप या स्प्रिंकलर की मदद से फसल तक पहुँचाना पड़ता है और इसे 'पानी का किफ़ायती इस्तेमाल' कहते हैं.
2. अब हिवड़े बाजार के सर्वज्ञात अनुभव की बात करते हैं जिसमें वर्षाजल का शानदार तरीके से प्रयोग किया जा रहा है. वहां जल एवं फसल प्रबंधन का तालमेल तैयार किया गया है जिसमें समुदाय स्वयं ही संचालन और रेगुलेशन का काम करता है. इससे एक अव्वल दर्जे की जल और उत्पादकता सुरक्षा की स्थिति हासिल की गयी है. पर दुखद यह है कि श्री

पोपट राव पवार जी के नेतृत्त्व में समुदाय के इस प्रयोग को सिंचाई प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार नाहीं किया जाता जबकि यह रेनफेड फसलों को भी जल मुहैया करा देता है जो अधिकांश सिंचाई प्रोजेक्ट नहीं कर पाते.

3. अगला उदाहरण वास्सन द्वारा समर्थित भूजल/बोरवेल के समुहिकीकरण का है जिसका विस्तार अब आंध्र प्रदेश सरकार का कृषि विभाग कर रहा है. इस व्यवस्था में किसानों का एक ऐसा समूह साथ आता है जिसमें से कुछ किसानों के पास अपना बोरवेल होता है. उन सभी बोरवेल को पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ दिया जाता है जिससे समूह के सभी किसानों को वर्षा की कमी की स्थिति में 3 बार तक सिंचाई का पानी मिल जाता है और खेती संभल जाती है. इसमें पानी पर पहला अधिकार रेनफेड फसलों की सिंचाई के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उस क्षेत्र में कोई नया बोरवेल नहीं लगाया जाएगा. इस तरह अंधाधुंध तरीके से बोरवेल की खुदाई नहीं होती और पुराने बोरवेल कारगर बने रहते हैं. थोड़े से प्रयास से ही किसान समझ जाते हैं कि साथ आने में सबका फायदा है. इस वजह से यह प्रक्रिया काफी अच्छे से फैल रही है.

विडम्बना यह है कि इन पहलक़दमियों के लिए जल/सिंचाई विकास के सरकारी नीति-संरचना में कहीं कोई जगह नहीं है.

एक सार्थक और टिकाऊ व्यवस्था की ओर:

अगर 'पानी के किफायती उपयोग' को मांपने का आधार 'वर्षाजल संचयन और फसल द्वारा उसके उपयोग' को बनाया जाए तो कई अन्य विकल्प और तकनीक लोक-निवेश के लिए माइक्रो इरीगेशन को कड़ी टक्कर देती नज़र आएंगी.

एक अन्य गड़बड़ी सिंचाई और 'सिंचित क्षेत्र' की परिभाषा में है. 'सिंचित' और 'सिंचित शुष्क' (irrigated dry) जैसे शब्द काफी प्रचलन में हैं. इन दोनों में ही फसल स्थानीय वर्षापात से मुक्त है. इसके विपरीत, यदि फसल अपने विकास के लिए स्थानीय बारिश का उपयोग करती है और उसे सूखे से बचाने के लिए दो या तीन पटवन की ज़रूरत होती है तो उसे 'सिंचित' नहीं माना जाता.

ऊपर वर्णित किये गए दोनों ही मामलों में स्थानीय वर्षा की प्रति इकाई के सटीक उपयोग को फसल उत्पादन (या मूल्य) के लिहाज़ से मापा गया है. माइक्रो-इरीगेशन के मामले में भी अंततः मिट्टी के जड़-क्षेत्र की जलधारण क्षमता और पौधों द्वारा उनके उपयोग का ही महत्त्व है.

नीतिगत प्रश्न:

पानी को 'सिंचाई' और कितने बढ़िया ढंग से उसे किसी खेत में डाला गया है को ही कुशल जल-उपयोग मान लेने की वजह से एक बड़े कृषि-क्षेत्र और उनपर निर्भर एक बड़ी जनसँख्या लोक निवेश से लाभ लेने से रह जाती है. इस गलत अवधारणा के कारण भरी संख्या में लोग विस्थापित होते ही हैं साथ ही पर्यावरण का नाश भी होता है और भूजल भंडार भी ख़त्म हो रहे हैं.

RRA-N (Revitalising Rainfed Agriculture) नेटवर्क ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 'कुशल वर्षापात उपयोग' को सामने रखा है जो लोक निवेश को काफी समय से समावेशी, समुचित और प्रभावी बनाने कामियाब रहा है और साथ ही विविध जलवायु प्रदेशों के किसानों की आजीविका को सुदृढ़ कर रहा है.

एक ऐसे नागरिक बहस की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे 'समस्या' की पड़ताल पर एक आम सहमति बन सके और पानी के समावेशी और प्रकृति के लिहाज़ से समुचित वैकल्पिक उपयोग के लिए लोक-निवेश के नए द्वार खोले जा सकें.

End Notes:

[1] Net irrigated area by source in India (million ha)
http://www.indianstatistics.org/irrigation.html

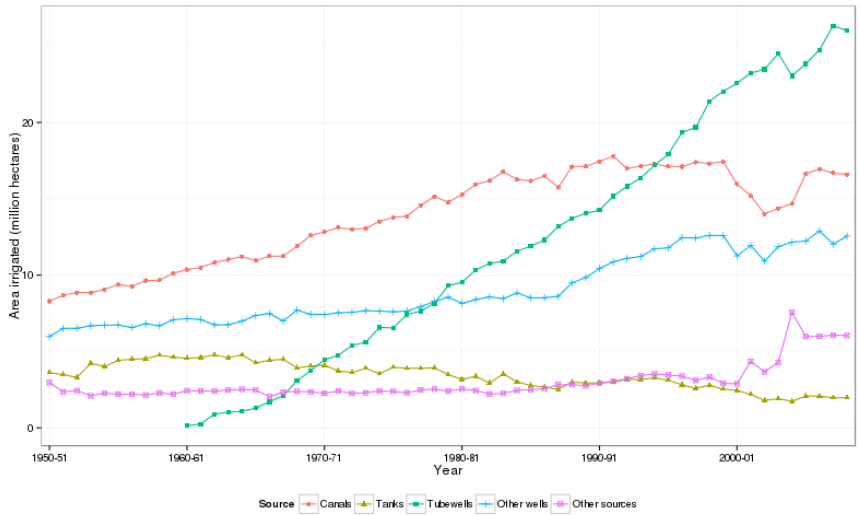

[2] https://pmksy.gov.in/Default.aspx : just browsing through the PMKSY website provides a visual on the priorities.

[3] https://sandrp.in/2018/03/29/aibp-just-a-pack-of-unverifiable-claims-or-worse/#more-29675

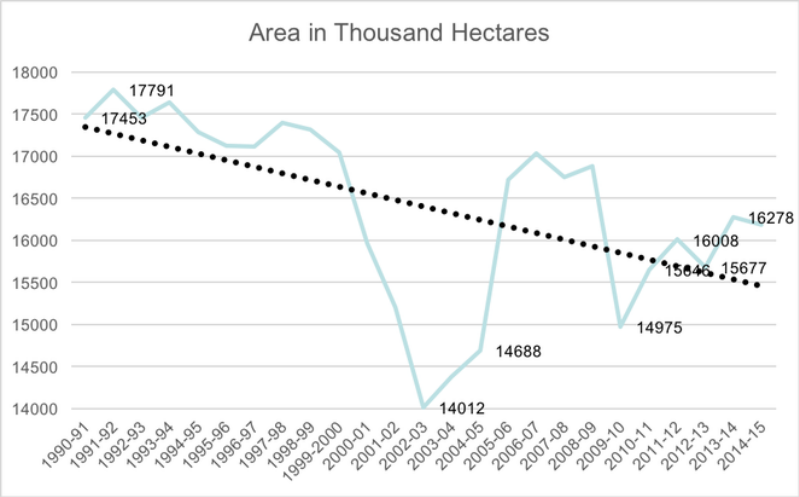

"सिंचाई का असली आंकड़ा सिर्फ कृषि मंत्रालय से मिलता है और उस आंकड़े ने लगातार यह बताया है कि कुल सिंचित क्षेत्र 1991-92 में अपने सबसे ऊपर के स्तर 17.79 मिलियन हेक्टर पर पंहुचा था. कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र ही दरअसल त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना (AIBP) के क्षेत्र भी हैं. अब ऐसे में कौन समझदार व्यक्ति चाहेगा कि ढांचों के निर्माण को सिंचाई की सफलता कहा जाए ! सरजमीन पर होनेवाले वास्तविक सिंचाई को ही सिंचाई क्षेत्र में हुए प्रयासों की सफलता माना जा सकता है.

** ** **